संख्या-16/2023/I/296093/2023/012-71400200212021

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

कुलसचिव,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद-20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, (वित्त) उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के पत्र संख्या-3926/ई/यू0पी0यू0एम0एस0/बजट(209)/2022-23 दिनांक 17.03.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक 2210–चिकित्सा शिक्षा तथा लोक स्वास्थ्य 05–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105 एलोपैथी 03 शिक्षा 0328 रूरल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईसेज, सैफई, इटावा की स्थापना के मानक मद 20 सहायता अनुदान समान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बजट आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक 2210-चिकित्सा शिक्षा तथा लोक स्वास्थ्य 05 –चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105 एलोपैथी 03 शिक्षा 0328 रूरल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईसेज, सैफई, इटावा की स्थापना के मानक मद 20-सहायता अनुदान समान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि 80,00,00,000 रूपये (अस्सी करोड़ मात्र) के सापेक्ष छठी किश्त के रूप में रू0 13,50,00,000 (रूपये तेरह करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत वित्तीय नियमों अधीन किया जायेगा।

2. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।

3. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना संभव नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5. उपर्युक्तानुसार निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति के आवंटन/व्यय के संबंध में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या/-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07.06.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के सापेक्ष सुसंगत शर्तो/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थान/विश्वविद्यालय के प्रमुख एवं वित्त नियंत्रक का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 13,50,00,000 (रुपये तेरह करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 2210051050328 रूरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सैफई, इटावा **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
यह आदेश वित्त विभाग के कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या FINRMS सिस्टम द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-641/दस-2022-23 दिनांक 29-03- 2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी),
उप सचिव

संख्या-16/2023/I/296093/2023/012-71400200212021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, सैफई, इटावा।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. नोडल अधिकारी/ संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी),
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।